दिनांक 09.06.16 को श्री आनन्द वर्द्धन सिन्हा, भा०प्र०से० (1978), अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में भूमि सुधार एवं अधिकार एजेंडा पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (भारत सरकार) तथा जन सत्याग्रह के मध्य सहमति विषय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

---

1. उपस्थिति:-संलग्न।

2. अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा सभी उपस्थित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

3. उन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमावली 2008 एवं संशोधित नियमावली 2012 के आलोक में बिहार राज्य में इसके प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी को जमीन का पट्टा दिये जाने के संबंध में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अब तक राज्य के वैसे जिला यथा:-कैमूर, पं0 चम्पारण, रोहतास, जमूई, गया, नवादा, मुंगेर, बाँका तथा लखीसराय जिलों में कुल 8012 जमीन के पट्टा हेतु आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें से कुल 109 व्यक्तियों को जमीन का पट्टा दिया जा चुका है एवं कुल 4205 आवेदन-पत्र विभिन्न जिलों द्वारा अस्वीकृत किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में एक याचिका दायर की गई है जिसके संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के कारण सहित प्रति-शपथ-पत्र दायर किया जाना है।

4. श्री एस0 एम0 राजू, भा0प्र0से0, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम के द्वारा पट्टा दिये जाने की कार्रवाई तेजी से किया जाना चाहिए एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में एक कार्यशाला आयोजित कर पुनः उन्हें Sensitize किये जाने की आवश्यकता है।

5. बैठक में Geo-Referencing Technology के साथ पट्टा दिये जाने की कार्रवाई किये जाने पर इसके अच्छे फलाफल प्राप्त हो सकते हैं। श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार द्वारा बैठक में यह सूचना दी गई कि कुछ माह पहले वन प्रमंडल पदाधिकारियों, अपर समाहर्त्ताओं तथा जिला कल्याण पदाधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें इस विषय के विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया गया था। उनके द्वारा भी सुझाव दिया गया कि इस प्रकार की एक और कार्यशाला आयोजित करने पर इसमें प्रगति आ सकती है। अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा सुझाव दिया गया कि दिनांक 24.06.16 को पूर्वा0 11.00 बजे से एक कार्यशाला उनकी अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय सभागार में आयोजित की जाय जिसमें प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित जिला पदाधिकारी, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाय। साथ ही इस विषय से संबंधित अन्य विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जा सकता है यथा श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं डा0 सच्चिंद्र नारायण आदि। इस संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगा।

6. बैठक में श्री प्रमोद कुमार सिंह, जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार द्वारा जारी किये गये एक पत्र का उल्लेख किया गया है जिसमें माननीय महाधिवक्ता, बिहार द्वारा दिये गये परामर्श को जिलों को संसूचित किया गया है। उनके द्वारा उक्त पत्र एवं महाधिवक्ता के परामर्श पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त पत्र के आलोक में पर्यावरण एवं वन विभाग पुनः नियमानुसार विचार करते हुए उचित कार्रवाई करेंगे ताकि इस संबंध में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न न हो।

7. श्री प्रमोद कुमार सिंह, जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जो भूमिहीन हैं उन्हें पहचान-पत्र उपलब्ध कराया जाय। इसपर अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा यह सुझाव दिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसपर विचार कर निर्णय लें।

8. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वनाधिकार कानून के अंतर्गत आवेदन के आलोक में जमीन का नजरी नक्सा का अँचलाधिकारी से सत्यापन करा लेना आवश्यक है। साधारणतः ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि इसके अंचलाधिकारी द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। इसपर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी तथा अंचल निरीक्षक से समन्वय स्थापित करने हेतु जिला पदाधिकारी के स्तर से सख्त निदेश जारी करने की आवश्यकता है।

9. अंचल स्तर पर होने वाले इस कार्य का प्रत्यक्ष संचालन संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (DCLR) द्वारा कराये जाने का निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद द्वारा परामर्श दिया गया।

10. धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

10.6.16

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य

राजस्व पर्षद, बिहार।

ज्ञापांक:-998 पटना, दिनांक:-10-06-2016

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/अपर सदस्य, राजस्व पर्षद/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना तथा सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.16

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।

ज्ञापांक:-998 पटना, दिनांक:-10-06-2016

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलायुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.6.16

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)
अध्यक्ष-सह-सदस्य।